न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 105/2016

1. गोपीराम } पिसरान जगदीश जाति नाई निवासी भोजुसर तहसील सूरतगढ
2. रणजीत } जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थीगण

बनाम

1. प्रेमचन्द उर्फ प्रेमाराम पुत्र कालुराम जाति नाई निवासी भोजुसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रवणराम पुत्र जगदीश जाति नाई निवासी भोजुसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. लिछमा पत्नी जगदीश जाति नाई निवासी भोजुसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. पानी पत्नी राजेन्द्र जाति नाई निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. सुरजी उर्फ सुरस्ती पत्नी शिशपाल जाति नाई निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. रामेश्वरी पत्नी राजेन्द्र जाति नाई निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ। — रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ
दिनांक 03.12.2015

उपस्थित

श्री रामप्रताप तिवाडी अभिभाषक अपीलांट्स
श्री राजवीर भादू अभिभाषक रेस्पो.सं. 1
श्री कैलाश पारीक अभिभाषक रेस्पो. सं0 2 से 6
श्री श्याम सुन्दर यादव राजकीय अधिवक्ता

4/12/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

निर्णय   दिनांक 04.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष रा.का.अ. की धारा 53, 209 के तहत पेश कर कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं.1 से 7 के नाम संयुक्त खाते की ग्राम भोजूसर के ख0न0 108, 209, 212 में कुल 27.998 है0 बारानी दोयम भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी सं.1 से 7 के पिता ने लगभग 35 वर्ष पूर्व आपस में बंटवारा कर लिया जिसके अनुसार वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चला आ रहा है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से 7 को आपसी बंटवारा व कब्जा काश्त के आधार पर विभाजन कराने के लिये कई बार कहा लेकिन ऐसा करवाने के लिए मना कर दिया। अतः निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाद के अनुतोष क व ख के अनुसार वाद डिक्री किया जावे ।

वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 24.07.2015 को एक तरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 03.12.2015 को वादी का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमों वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया है। अधी.न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व जो नोटिस जारी किये गये थे वे प्रतिवादीगण पर विधिवत रूप से तामील नहीं हुए थे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने 2017 (1) आर0आरटी 619 2013 (2) आर0आरटी 578 की नजीरें पेश की।

4/12/17

राजस्व अपील अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर पेश की है। प्रतिवादीगण पर नोटिस तामील होने के पश्चात उनकी ओर से अधी. न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया ऐसी स्थिति में उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए जो आदेश पारित किया गया है उसमें कोई विधिक भूल नहीं हुई है। अतः अपील खारिज की जावे । अपने पक्ष के समर्थन में वकील रेस्पो. ने 2009 (16) आरबीजे 337 की नजीर पेश की ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 03.12.2015 के विरूद्ध दिनांक 22.07.2016 को पेश की है जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये है उनका खंडन रेस्पो. ने प्रत्युतर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 03.12.2015 के विरूद्ध पेश हुई जिसमें वादीगण/रेस्पो. के पक्ष में खाता विभाजन के आदेश को रेकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जो एक तरफा व नियम विरूद्ध होकर आदेश निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी.न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 12.06.2015 में जाहिर किया कि प्रतिवादी सं. 2 से 7 के सम्मन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्राप्त किये है जबकि सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 5 के नियम 11 में स्पष्ट आज्ञापक प्रावधान है कि जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हो वहां " Service of summons shall be made on each defendant " इसी आदेश के नियम 12, 13, 14, 15 के परन्तुक की भी पालना न होना साबित एवं प्रमाणित है। अतः अधी.न्यायालय द्वारा समन तामिली सीपीसी के प्रावधानुसार नहीं करवाने से आदेशिका दिनांक 24.07.2015 में जो एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश जारी किये है वह नियम विरूद्ध होने से निरस्त किये जाते है।

अधी.न्यायालय के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 53 व 209 रा.का.अ. पेश होकर प्रक्रियाओं अनुसार प्राथमिक डिक्री बंटवारा प्रस्ताव एवं अन्तिम डिक्री जारी किया

5/12/17

जाना नियमों में निहित है परन्तु अधी. न्यायालय द्वारा सीधे ही रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश देना विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2015 अपास्त किया जाता है।

निर्णय दिनांक 04.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

डिक्री व सीगे अपील

(ऑ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. गोपीराम } पिसरान जगदीश जाति नाई निवासी भोजुसर तहसील सूरतगढ़ जिला
2. रणजीत } श्रीगंगानगर। — अपीलार्थीगण

बनाम

1. प्रेमचन्द उर्फ प्रेमाराम पुत्र कालुराम जाति नाई निवासी भोजुसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रवणराम पुत्र जगदीश जाति नाई निवासी भोजुसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. लिछमा पत्नी जगदीश जाति नाई निवासी भोजुसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. मानी पत्नी राजेन्द्र जाति नाई निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. सुरजी उर्फ सुरस्ती पत्नी शिशपाल जाति नाई निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. रामेश्वरी पत्नी राजेन्द्र जाति नाई निवासी उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़। — रेस्पोडेन्टान

अपील संख्या 105/2016 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ निर्णय दिनांक 03.12.2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 04 माह 12 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री रामप्रताप तिवाड़ी अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट्स व श्री राजवीर भादू अभिभाषक रेस्पो. सं. 1, श्री कैलाश पारीक अभिभाषक रेस्पो. सं. 2 से 6 एवं श्री श्याम सुन्दर चांडक राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2015 अपास्त किया जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग ..X..) रूपये ..X.. अदा करें खर्चा मुकदमा मातहत का ..X.. अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 04.12.2017 को जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर